मेटा अधिकारी ने की वैष्णव से मुलाकात

- अब व्हाट्सएप भी जांच के दायरे में
- मेटा के अधिकारी अभी कुछ दिनों तक भारत में रहेंगे
- तीन से चार और बैठकें होने की संभावना
- मेटा पहले तकनीकी त्रुटि मानते हुए खेद जता चुका है.

नई दिल्ली, 06 अगस्त. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक पोस्ट अस्थायी रूप से हटाए जाने के विवाद के बाद केंद्र सरकार और मेटा के बीच भारतीय कानूनों के पालन को लेकर बातचीत लगातार जारी है. सूत्रों के के अनुसार मेटा के अधिकारियों से सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मुलाकात की है.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मेटा की वैश्विक टीम अगले कुछ दिनों तक भारत में ही रहेगी और इस दौरान तीन से चार और उच्चस्तरीय बैठकें होने की संभावना है. इन बैठकों में फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ-साथ अब व्हाट्सएप के तकनीकी, कानूनी और नियामकीय पहलुओं की भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में संचालित सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों और अन्य संबंधित नियमों का पूरी तरह पालन करें. अधिकारियों का कहना है कि भारत में किसी भी विदेशी कंपनी का संचालन भारतीय कानूनों के अनुरूप होना चाहिए और किसी अन्य देश के कानूनी ढांचे के आधार पर यहां सेवाओं का संचालन स्वीकार्य नहीं होगा. बताया गया है कि आगामी बैठकों में व्हाट्सएप की तकनीकी कार्यप्रणाली, सिस्टम लॉग, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी. मेटा पहले ही इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान जारी कर चुका है, लेकिन सरकार उपलब्ध तथ्यों व तकनीकी सूचनाओं का विस्तृत परीक्षण करना चाहती है ताकि किसी भी प्रकार की चूक या प्रणालीगत कमी की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके.

> सरकारी सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की बातचीत केवल मेटा तक सीमित नहीं है. एक्स (पूर्व ट्विटर), टेलीग्राम और अन्य प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ भी समय-समय पर संवाद होता रहता है. सरकार का मानना है कि सभी डिजिटल कंपनियों की समाज और कानून के प्रति समान जिम्मेदारी है तथा प्रत्येक प्लेटफॉर्म को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए.

अतीक अहमद के छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत

झांसी, 06 अगस्त. कुख्यात माफिया अतीक अहमद के परिवार से जुड़ा एक और बड़ा घटनाक्रम गुरुवार को झांसी में सामने आया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार झांसी जेल में बंद भाई अली अहमद से मिलने जा रहे अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसे में उसके दोस्त सोनू की भी जान चली गई, जबकि कार सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसा पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ. इसकी पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने करते हुए बताया कि पूंछ क्षेत्र के ग्राम खिल्ली में हुए सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के बेटे की भी मौत हुई है.

आपने मेरा एकाउंट क्यों किया बैन?

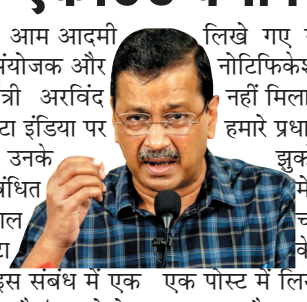

नई दिल्ली, 06 अगस्त. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेटा और मेटा इंडिया पर आरोप लगाया है कि उनके अकाउंट को भार में प्रतिबंधित कर दिया गया है. केजरीवाल ने एक्स पर मेटा और मेटा इंडिया को टैग करते हुए इस संबंध में एक पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है, 'आपने मेरा अकाउंट क्यों प्रतिबंधित कर दिया है? आपके भारत कार्यालय में मौखिक पूछताछ से पता चला कि मेरा अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है और यह भारत में उपलब्ध नहीं है. क्यों? आपके कार्यालय में कोई भी कोई कारण नहीं बता रहा है. कोई यह भी नहीं बता रहा कि प्रतिबंध कैसे हटाए जा सकते हैं. लिखे गए सभी ईमेल पर नियमित नोटिफिकेशन के अलावा कोई जवाब नहीं मिला. यह बहुत खराब सेवा है. हमारे प्रधानमंत्री के सामने इतना मत झुको. वरना वह आपको भारत में सिर्फ अपना ही अकाउंट चलाने की इजाजत देंगे. केजरीवाल ने इससे पहले एक पोस्ट में लिखा था, 'मोदी सरकार का क्या प्लान है, पता चल रहा है कि पेट्रोल में 50 प्रतिशत से ज्यादा की मिलावट करेंगे. अभी बस माहौल शांत होने का इंतजार कर रहे हैं. पहले आपकी ई0 और ई10 गाड़ियों में जबरदस्ती ई20 पेट्रोल डालकर कबाड़ा किया. आज अगर आप ई20 नई गाड़ी खरीदते हैं तो सरकार कुछ दिन बाद उसमें जबरदस्ती ई50 पेट्रोल डालकर उसका कबाड़ा कर देगी.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह निमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण लिया था और बार-बार याद दिलाने और नोटिस भेजने के बावजूद, वे निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। तदनुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बकाया राशि की वसूली के लिए 08 सितम्बर 2026 से 10 सितम्बर 2026 तक गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करेगा। उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि निरीक्षण/बोली की तिथि से पहले लागू ब्याज, शुल्क और खर्चों सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का यह अंतिम अवसर है, अन्यथा नियामक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा।

ऋण खाता संख्या	ऋण लेने वाले का नाम	शाखा का नाम
179665233	राजू सिंगाडे	खरगोन ग्रामीण

नीलामी की स्थिति में यदि कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो वह संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी। नीलामी के बाद यदि कोई घाटा/कमी रह जाती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के, अपने विवेकानुसार नीलामी कार्यक्रम में संशोधन करने या उसे आगे की तिथि तक स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नीलामी का आयोजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाताओं, मेसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक भौतिक रूप से किया जाएगा। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी।

नीलामी की शर्तें एवं नियम :
1) संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री "जैसा है, जहाँ है", "जैसा है, जो है" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के साथ पंजीकरण करना होगा और केवाईसी संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
3) बोली जमा करने से पहले आभूषणों और उनकी विशिष्टताओं का निरीक्षण करना और उनसे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता शाखा प्रबंधक से परामर्श करके आभूषणों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4) उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
5) सफल बोलीदाता को निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करनी होगी, अन्यथा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
6) एक बार बेचे गए सोने के पाउच किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं किए जा सकते हैं और विजेता बोलीदाता/खरीददार द्वारा भौतिक रूप से सौंपे जाने के बाद विक्रेता किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
7) बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
8) बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।

दिनांक: 07.08.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
एसडी/-
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

इंडियन बैंक, खंडवा शाखा 13, पंधाना रोड, गुजराती धर्मशाला के पीछे खण्डवा

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक **31.07.2026** को रजिस्टर्ड डाक द्वारा निम्नवर्णित ऋणी/जमानतदार को मांग सूचना पत्र भेजा गया:-
1 श्रीमती शालिनी तायड़े पति श्री अनिल कुमार अग्रवाल
2. स्वर्गीय श्री अनिल अग्रवाल, जिनका प्रतिनिधित्व उनकी पत्नी श्रीमती शालिनी तायडे पति स्वर्गीय श्री अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है
दोनों का पता: 154, वार्ड क्रमांक 5, कनक नगर, सिविल लाइन, कलेक्टर बंगले के पास, खंडवा – 450001
विषय: इंडियन बैंक खंडवा शाखा में लोन खाता नंबर 50306287417 का संदर्भ
आपने रुपये रुपये **15,00,000/- (रुपये पन्द्रह लाख मात्र) दिनांक 07.11.2015** से सहमत दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की है। बैंक ने **31.07.2026** को अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर आपसे दिनांक **31.07.2026** को रुपये **12,62,341/- (रुपये बारह लाख बासठ हजार तीन सौ इकतालीस मात्र)** की बकाया राशि चुकाने का अनुरोध किया। आपको पंजीकृत डाक से भेजा गया नोटिस बिना तामील किए वापस कर दिया गया है। इसकी एक प्रति 154, वार्ड क्रमांक 5, कनक नगर, सिविल लाइन, कलेक्टर बंगले के पास, खंडवा – 450001 पर चिपकाई गई है।
आपको **रुपये 12,62,341/- (रुपये बारह लाख बासठ हजार तीन सौ इकतालीस मात्र) दिनांक 31.07.2026** से सहमत दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था। ऐसा न करने पर बैंक बाध्य होगा यहां नीचे दी गई अनुसूची में दी गई सुरक्षित संपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षा हित को लागू करने के अधिकारों का प्रयोग करें। यह नोटिस सुरक्षित ऋणदाता को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार/उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।
ऋणकर्ता/सहऋणी/जमानतदार/संपत्ति स्वामी का ध्यान आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूति-हित-का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

अनुसूची

मकान/प्लॉट नंबर एवं स्थान: प्लॉट नंबर 05 पर निर्मित संपूर्ण संपत्ति, जो कि प्रॉपर्टी लेआउट प्लॉट नंबर 154, कनक नगर कॉलोनी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण वार्ड नंबर 06 (नवीन वार्ड नंबर 05), खंडवा – 450001 में स्थित है
संपत्ति का क्षेत्रफल: संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 92.96 वर्ग मीटर है। संपत्ति पूर्व से पश्चिम 15.24 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण 6.10 मीटर है
संपत्ति के स्वामी का नाम: श्रीमती शालिनी तायड़ेपति स्वर्गीय अनिल कुमार अग्रवाल
संपत्ति की सीमाएं: पूर्व दिशा: कॉलोनी रोड, पश्चिम दिशा: कॉलोनी प्लॉट नंबर 140, उत्तर दिशा: कॉलोनी प्लॉट नंबर 153, दक्षिण दिशा: कॉलोनी प्लॉट नंबर 155

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन बैंक, इंदौर

म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, भोपाल
(कौशल विकास संचालनालय म.प्र.)

क्र./एमपीएसएसडीईजीबी/प्रवेश/2026/4564 भोपाल, दिनांक : 06.08.2026

म.प्र. की आईटीआई में प्रवेश 2026 हेतु ओपन (कन्वर्जन) राउण्ड की प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी

म.प्र. स्थित शासकीय एवं प्रायवेट आईटीआई में संचालित एनसीवीटी/एससीवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के पोर्टल (www.dsd.mp.gov.in) पर **"प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2026"** पर जाकर रजिस्ट्रेशन, च्वाईस फिलिंग एवं रजिस्ट्रेशन में त्रुटिसुधार हेतु निम्नानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिये www.dsd.mp.gov.in पर देखें।

स.क्र.	की जाने वाली कार्यवाही	दिनांक
1.	संस्थावार/व्यवसायवार रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित करना।	12.08.2026
2.	ओपन (कन्वर्जन) राउण्ड- म.प्र. राज्य एवं राज्य के बाहर के आवेदकों द्वारा प्रवेश पोर्टल पर आवेदन हेतु नवीन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार। इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना/इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार (च्वाईस लॉक करने के पूर्व तक)।	12.08.2026 से 16.08.2026
3.	पंचम चयन सूची ओपन (कन्वर्जन) राउण्ड समस्त सीटों के कन्वर्जन सहित एवं राज्य के बाहर के आवेदकों को जोड़ते हुए मेरिट सूची जारी करना।	20.08.2026
4.	पंचम चयन सूची (सीटों के कन्वर्जन सहित) के आवेदकों का प्रवेश- आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	20.08.2026 से 24.08.2026

आवेदकों के लिये महत्वपूर्ण जानकारियां निम्नानुसार हैं :-
- आईटीआई में महिलाओं के प्रवेश हेतु 35% सीटें आरक्षित की गई हैं, साथ ही महिलाओं के लिये प्रशिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की कमी भी की गई है।
- समस्त व्यवसायों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश शुल्क को दो किश्तों में जमा करने का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश की आईटीआई में 11 ट्रेड (Welder, Plumber, Weaving Technician, Welder-Fabrication, Driver Cum Mechanic, Dress Making, Sewing Technology, Mason, Wood Work Technician-Carpenter, Painter General, Wireman) में 08वीं के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया की जा रही है। सीटें रिक्त रहने पर एवं 08वीं के आवेदक सूची में उपलब्ध नहीं होने पर 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट सूची अनुसार आवंटन जारी किया जायेगा।
- आईटीआई के विभिन्न ट्रेड में प्रवेश की अधिक जानकारी के लिये नजदीकी शासकीय आईटीआई के हेल्पडेस्क पर अवश्य संपर्क करें। आईटीआई में प्रवेश फार्म भरने की व्यवस्था भी उपलब्ध है।
- **आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रिक्त सीटों के अनुसार अंतिम तिथि के पूर्व पुनः च्वाईस फिलिंग का भुगतान रुपये 50/- करके च्वाईस फिलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं।**

प्रवेश पोर्टल पर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संपर्क करें :-
फोन नं. : 9220407724, 9220407725, 9220407726, ई-मेल : mpitisupport@gmail.com

म.प्र. माध्यम/127423/2026 **अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

सार्वजनिक सूचना
सोने की पुनः नीलामी और आमंत्रण सूचना (ऑनलाइन)

नीचे बताए गए उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उधारकताओं ने IDFC FIRST Bank Limited से सोने के गहने गिरवी रखकर लोन लिया था। बार-बार याद दिलाने और नोटिस भेजने के बावजूद, उधारकर्ता तय समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। नीचे दिए गए लोन खातों (LANs) के लिए पहले फिजिकल मोड में नीलामी की गई थी, जो सफल नहीं रही। इसलिए, बैंक अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, अपना बकाया वसूलने के लिए 09.09.2026 को गिरवी रखे गए सोने या गहनों की ऑनलाइन नीलामी करेगा। उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तारीख से पहले लागू ब्याज, शुल्क और खर्चों के साथ पूरी बकाया राशि चुकाने का यह आखिरी मौका है; ऐसा न करने पर गिरवी रखे गए सोने के गहने बेच दिए जाएंगे।

ऋण खाता संख्या	ऋण लेने वाले का नाम	शाखा का नाम
179122347	राजनारायण पाटीदार	टाकीपुरा ग्रामीण

अगर नीलामी से कोई अतिरिक्त रकम मिलती है, तो वह संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी। और अगर नीलामी के बाद कोई कमी या घाटा होता है, तो बाकी रकम उधारकर्ता से उचित कानूनी कार्यवाही के जरिए वसूल की जाएगी। IDFC FIRST Bank के पास बिना पहले सूचना दिए नीलामी से नीचे दिए गए खाते को हटाने का अधिकार है। साथ ही, IDFC FIRST Bank के पास बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की तारीख बदलने का अधिकार भी सुरक्षित है।
नीलामी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसके लिए अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से https://idfcegold.auctiontiger.net पर 09.09.2026 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक और http://gold.samil.in पर दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक नीलामी होगी।
कृपया ध्यान दें कि यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नॉमिनी/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी।

दिनांक: 07.08.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
एसडी/-
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	69497305	संपत्ति के बदले ऋण	18-Jul-2026	2,81,633.62/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. रामचंद्र ठाकुर 2. पुरीबाई चौहान

संपत्ति का पता: वह पूरा बना हुआ मकान नंबर 87, जिसका कुल क्षेत्रफल 1248 वर्ग फुट है, जो सर्वे नंबर 558, पीएच नंबर 21, ग्राम और ग्राम पंचायत: अहिरबर्डिया, वार्ड नंबर 07, पोस्ट: बापचा, तहसील और जिला: आगर, मध्य प्रदेश-465441 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: कॉमन रोड, पश्चिम: लाल सिंह का घर, उत्तर: लाल सिंह का घर, दक्षिण: कॉमन रोड।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

दिनांक: 07.08.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	62609770	होम लोन	22-Jul-2026	2,42,029.04/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. मुकेश कालू 2. पूजा मुकेश

संपत्ति का पता: मकान नंबर 93 का पूरा हिस्सा और जमीन, जिसका कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट है; यह जमीन सर्वे नंबर 264, पीएच नंबर 56, ग्राम: निमाड़ी, तहसील: खाचरौद, ज़िला: उज्जैन में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में कृषि भूमि, पश्चिम में पीएम रोड, उत्तर में पन्नालाल का मकान, और दक्षिण में मोहनलाल का मकान।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	112492537	संपत्ति के बदले ऋण	27-Jul-2026	9,21,071.22/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. मुकेश कामदार 2. रूकमा बाई 3. ममता कामदार 4. नाथू सिंह

संपत्ति का पता: 36 x 27 = 972 वर्ग फीट की वह पूरी प्रॉपर्टी, जो आबादी खसरा नंबर 338, पीएच नंबर 50/60, ग्राम: करनजावा, ग्राम पंचायत: बनेडिया, तहसील: धार, ज़िला: धार, मध्य प्रदेश - 454001 में स्थित है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्व: खुली जमीन और सड़क, पश्चिम: विष्णु का घर, उत्तर: खुली जमीन, दक्षिण: सुनेर का घर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	117726255	संपत्ति के बदले ऋण	04-Jul-2026	5,00,781.78/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. रामेश्वर यादव 2. कृष्णा बाई यादव 3. करण रामेश्वर

संपत्ति का पता: वह पूरा मकान और जमीन का टुकड़ा, मकान नंबर 64, कुल प्लॉट का एरिया 1792 वर्ग फीट (पूर्व-पश्चिम: 56 फीट और उत्तर-दक्षिण: 32 फीट), जो सर्वे नंबर 606, पीएच नं. 49 (सरल नंबर 541), गाँव: डबडिया, वार्ड नंबर 05, तहसील: बड़ौद, ज़िला: आगर मालवा, मध्य प्रदेश-465441 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: पर्वत का मकान, पश्चिम: सड़क, उत्तर: सड़क, दक्षिण: दरियाव का मकान।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	145159012	संपत्ति के बदले ऋण	25-Jul-2026	7,37,142.94/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नाम: 1. भोपाल सिंह सिसौदिया 2. दीपा कुँवर सिसौदिया

संपत्ति का पता: वह पूरा मकान नंबर 162, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1100 वर्ग फुट है और जो प्लॉट नंबर 245, सर्वे नंबर 249, गाँव गोंडीशंकर, पीएच नंबर 13, तहसील जावरा, ज़िला रतलाम, मध्य प्रदेश में स्थित है; और उक्त संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: मनोहर सिंह का घर, पश्चिम: सड़क, उत्तर: देशपाल सिंह का घर, दक्षिण: मनोहर सिंह का घर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
5	146004775	संपत्ति के बदले ऋण	22-Jul-2026	8,07,852.12/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नाम: 1. राहुल पाटीदार 3. संजय लच्छीराम 3. कृष्णाबाई संजय

संपत्ति का पता: वह अचल संपत्ति (जमीन-मकान) जिसका प्लॉट नंबर 224 (P) है और जिसका कुल क्षेत्रफल 79 वर्ग मीटर है (जिसमें ग्राउंड फ़्लोर पर 79 वर्ग मीटर में मकान बना हुआ है), जो खसरा नंबर 431/1 (B),